



३४१

पुस्तक 2295/09  
2296/10

नव बोरा नंद, 10 अशोक नगर, लखनऊ 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2283 / 05 / 76 / एक / 2015 16

सेवा में

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद औरिया।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा ढूड़ा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आईएचएसलीपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आनंदित की जा चुकी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रुपये में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएचएससी कोड	धनराशि
संग्रहीत बैंक ऑफ इंडिया	3300918268	IFSC Code CBIN0281879	105.66

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के संपेक्ष वर्किंग कार्ट/लेबर सोस की धनराशि का प्रेषण		
			वर्किंग कार्ट	लेबर सोस	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
औरिया / असल्या	अनु० ३७ / ८३ पीएलए	132	75.190	0.71	75.900
औरिया / फल्मूद	अनु० ३७ / ८३ पीएलए	60	29.45	0.31	29.760
योग			104.64	1.02	105.66

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय आईएचएसलीपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मद्दों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि रवैकृत की गयी है। परियोजना की ढीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी रुग्निश्चित कर लिया जाये कि गितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, स्थल पर उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त गद के अतिरिक्त अन्य किरी नद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्यवर्तन अनुमन्य न होगा। आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मार्च 2015 निर्धारित थी जो व्यतीत हो चुकी है। भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को 10 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व ढूड़ा द्वारा एम०ओ०य० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:

- 1— राग्रत कार्य गूल्यवृद्धि की ढीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण कराने होंगे।
- 2— दिसम्बर 2015 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- 3— इस गूल्यवृद्धि के बाद पुनः किरी प्रकार की गूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- 4— उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।
- 5— निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संशोधित दरों पर ढूड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।



318/2

दस्तावेज़ 2206/09  
2206/10

नव भवन केन्द्र 10 अशोक नगर, लखनऊ-220001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

6. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार परियोजना की कलोजार रिपोर्ट अभियान मुख्यालय को रूड़ा के गांधीगढ़ से उपलब्ध करानी होगी।  
7. सूचित की गई परिसाम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएल०वी०) द्वारा करना होगा और उक्त का प्रगाण पत्र रूड़ा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

मद्दीय

(लाल प्रताप रिंह)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तार्देव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना अधिकारी-सूड़ा
3. परियोजना अधिकारी-सूड़ा
4. कम्यूनल सेल/लेखा किमांग-सूड़ा।

(लाल प्रताप रिंह)  
वित्त नियन्त्रक